संख्या–बी–2–2307/दस–2011–आर–2/2010

प्रेषक,

लहरी यादव,
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समाज कल्याण आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 17 नवम्बर, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त विभाग के पत्र संख्या–बी–2–2264/दस–2011–आर–2/2011, दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखामिलान की प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2011 से सितम्बर, 2011 तक) के महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये विभागवार कार्यक्रम दिनांक 15 नवम्बर, 2011 से 21 दिसम्बर, 2011 तक निर्धारित कर जारी किया जा चुका है।

2– उप महालेखाकार (राजकोष एवं वी.एल.सी.), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या–टी.एम.–II/ग्रुप–4/लेखामिलान/1113, दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 द्वारा वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष 2011–2012 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास के लेखामिलान की तिथियां निम्नवत् प्रेषित की गयी हैः–

1– तृतीय त्रैमास (अक्टूबर से दिसम्बर, 2011) 16 फरवरी, 2012 से 21 मार्च, 2012
2– चतुर्थ त्रैमास (जनवरी, 2012 से मार्च, 2012) 18 मई, 2012 से 20 जून, 2012

2– तृतीय व चतुर्थ त्रैमास का विभागवार/तिथिवार कार्यक्रम वित्त विभाग द्वारा यथासमय जारी किया जायेगा।

3– अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उक्त तिथियों में त्रैमासिक लेखा मिलान कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–2307(1)/दस–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)– द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्तीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।
7. प्रभारी निकनेट सेल, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेब साईट में प्रदर्शित किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं विशेष सचिव।